पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2019

दिनांक-05.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- नगराम

थाना नगराम साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा वादी के साइबर फ्राड के 6,999 रुपये वापस कराए गए।

01.कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो० मुश्ताक के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक नगराम श्री अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना नगराम द्वारा वादी के साइबर फ्राड के 6,999 रुपये वापस कराए गए।

02.कार्यवाही विवरण:-

दिनांक 20.09.2026 को शिकायतकर्ता रिषभ कुमार पुत्र शर्मा बाबू निवासी ग्राम करोरवा थाना नगराम जनपद लखनऊ द्वारा बताया गया कि उनके साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने पर सामान रिसिव नहीं हुआ जिस पर वादी ने कस्टमर केयर को कॉल किया। काल करने पर अन्जा लिंक प्राप्त हुआ जिसमें क्लिक करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का मोबाइल हैक कर आवेदक के खाते से 6999/- रु0 की साइबर फ्राड कर लिया। जिसके पश्चात शिकायतकर्ता अपने साथ साइबर ठगी का एहसास हुआ जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा साइबर हेल्प डेस्क थाना नगराम पर शिकायत की। जिस पर साइबर हेस्प डेस्क प्रभारी उ0नि0 अल्पा कटियार के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडित की शिकायत को NCRP पोर्टल पर पंजीकृत करायी गयी। साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी की तत्परता से बैंक व एनसीआरपी पोर्टल की मदद से शिकायतकर्ता के साथ फ्रॉड हुए 6999/- रूपये होल्ड कराये गये, होल्ड हुए पैसो को सकुशल बरामद कराया गया।

03.पैसा वापस कराने वाली टीम-

1.म0उ0नि0 अल्पा कटियार, प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क (थाना नगराम) कमि. लखनऊ।

2.म0का0 रश्मि देवी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2019

दिनांक-05.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- नगराम

थाना नगराम साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा वादी के साइबर फ्राड के 6,999 रुपये वापस कराए गए।

01.कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो० मुश्ताक के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक नगराम श्री अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना नगराम द्वारा वादी के साइबर फ्राड के 6,999 रुपये वापस कराए गए।

02.कार्यवाही विवरण:-

दिनांक 20.09.2026 को शिकायतकर्ता रिषभ कुमार पुत्र शर्मा बाबू निवासी ग्राम करोरवा थाना नगराम जनपद लखनऊ द्वारा बताया गया कि उनके साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने पर सामान रिसिव नहीं हुआ जिस पर वादी ने कस्टमर केयर को कॉल किया। काल करने पर अन्जा लिंक प्राप्त हुआ जिसमें क्लिक करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का मोबाइल हैक कर आवेदक के खाते से 6999/- रु0 की साइबर फ्राड कर लिया। जिसके पश्चात शिकायतकर्ता अपने साथ साइबर ठगी का एहसास हुआ जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा साइबर हेल्प डेस्क थाना नगराम पर शिकायत की। जिस पर साइबर हेस्प डेस्क प्रभारी उ0नि0 अल्पा कटियार के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडित की शिकायत को NCRP पोर्टल पर पंजीकृत करायी गयी। साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी की तत्परता से बैंक व एनसीआरपी पोर्टल की मदद से शिकायतकर्ता के साथ फ्रॉड हुए 6999/- रूपये होल्ड कराये गये, होल्ड हुए पैसो को सकुशल बरामद कराया गया।

03.पैसा वापस कराने वाली टीम-

1.म0उ0नि0 अल्पा कटियार, प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क (थाना नगराम) कमि. लखनऊ।

2.म0का0 रश्मि देवी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2018

दिनांक- 05.11.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-रहीमाबाद

- **शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 01 अभियुक्त को थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया।**

01-कार्यवाही-

आज दिनांक 05.11.2026 को जरिए डायल 112 सूचना प्राप्त हुआ कि श्रीमती निशा पत्नी महेश निवासी कल्यानपुर मजरा गहदो थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ के साथ विपक्षी 01.कमलेश यादव पुत्र सुक्खा उम्र करीब 47 वर्ष, 02.श्रीमती कलावती पत्नी कमलेश उम्र करीब 44 वर्ष निवासीगण ग्राम कल्यानपुर मजरा गहदो थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज मारपीट व जान माल की धमकी दे रहे है।

इस सूचना पर उ0नि0 उमेश यादव मय हमराह का0 राजकमल मौके पर पहुंचे तो विपक्षीगण 01.कमलेश यादव पुत्र सुक्खा उम्र करीब 47 वर्ष, 02.श्रीमती कलावती पत्नी कमलेश उम्र करीब 44 वर्ष निवासीगण ग्राम कल्यानपुर मजरा गहदो थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ गाली गलौज जान माल की धमकी दे रहे थे और मरने मारने पर आक्रामक हो रहे थे जिनको मौके पर समझाया बुझाया गया तो श्रीमती कलावती पत्नी कमलेश निवासी उपरोक्त मान व शांत हो गयी परन्तु विपक्षी कमलेश यादव पुत्र सुक्खा निवासी कल्यानपुर मजरा गहदो थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ शिकायतकर्ता निशा को मारने पीटने के लिए आमदा फौजदारी होने लगा था जिसको यदि मौके से गिरफ्तार नही किया जाता तो निश्चित ही कोई संज्ञेय अपराध घटित कर देता।

विपक्षी कमलेश यादव पुत्र सुक्खा उम्र करीब 47 वर्ष निवासी कल्यानपुर मजरा गहदो थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ को परिशान्ति कायम रखने के लिए दिनांक-04.11.2026 को समय करीब 22.15 बजे अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर ही कमलेश की पत्नी कलावती व पुत्र विकास को मौके पर दी गयी।

दौराने गिरफ्तारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों निर्देशो का अक्षरश: पालन किया गया। उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

02.अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया है।

03. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. कमलेश यादव पुत्र सुक्खा उम्र करीब 47 वर्ष निवासी कल्यानपुर मजरा गहदो थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

04.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम –

01.उ0नि0 उमेश यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

02.का0 राजकमल थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2017

दिनांक- 05.11.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-रहीमाबाद

➢ **शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 04 अभियुक्तों को थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया।**

01-कार्यवाही-

आज दिनांक 05.11.2026 को उ0नि0 अनिल कुमार वर्मा मय का0 शीर्षपाल सिंह, का0 सिमित कुमार, का0 अमित यादव व म0का0 पुष्पा सिंह के देखभाल क्षेत्र जुर्म जरायम, जांच प्रार्थना पत्र में ग्राम सुरगौला मोड पर मामूर था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की ग्राम अहमदाबाद कटौली रहीमाबाद लखनऊ में कुछ लोगो के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराहियान के मौके से रवाना होकर ग्राम अहमदाबाद कटौली पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष निवासी ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ द्वारा द्वितीय पक्ष के 01.आसिफ पुत्र मुबीन, 02.वहीद पुत्र शकूर, 03.अरबाज पुत्र पप्पू, 04.फुरकान पुत्र शहीद निवासीगण ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-167/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/74 बीएनएस व 11/12 पॉक्सो एक्ट व 3(1)(द)(ध) व 3(2)(va) SC/ST Act पंजीकृत होने पर द्वितीय पक्ष के आसिफ उपरोक्त व आदि द्वारा प्रथम पक्ष/वादी मुकदमा मुकेश उपरोक्त के साथ लड़ाई झगड़ा कर आमादा फौजदारी हो रहे थे।

जिन्हे मुझ उ0नि0 मय हमराहियान द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु विपक्षी/द्वितीय पक्ष के 01.आसिफ पुत्र मुबीन, 02.वहीद पुत्र शकूर, 03.अरबाज पुत्र पप्पू, 04.फुरकान पुत्र शहीद निवासीगण ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ वादी मुकदमा मुकेश उपरोक्त व उसके परिवारीजन के साथ हम पुलिस वालो के सामने ही आक्रोशित होकर आमादा फौजदारी हो गये शान्ति व्यवस्था भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत द्वितीय पक्ष के 01. आसिफ पुत्र मुबीन उम्र करीब 20 वर्ष, 02.वहीद पुत्र शकूर उम्र करीब 28 वर्ष, 03.अरबाज पुत्र पप्पू उम्र करीब 20 वर्ष, 04.फुरकान पुत्र शहीद उम्र करीब 19 वर्ष निवासीगण ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ को समय करीब 10.05 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर अन्तर्गत धारा 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मे पुलिस हिरासत में लिया गया।

दौराने गिरफ्तारी माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त 01.आसिफ के पिता मोबीन, 02.अरबाज के पिता पप्पू, 03.फुरकान की माता शैरा, 04.वहीद के भाई मोबीन को मौके पर दी गयी। उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

02.अपराध का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया है।

03. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.आसिफ पुत्र मुबीन ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

02.वहीद पुत्र शकूर ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

03.अरबाज पुत्र पप्पू ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

04.फुरकान पुत्र शहीद निवासी ग्राम अहमदाबाद कटौली थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

04.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम –

01.उ0नि0 अनिल कुमार वर्मा थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

02.का0 शीर्षपाल सिंह थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

03.का0 सिमित कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

04.का0 अमित यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

05.म0का0 पुष्पा सिंह थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2016
दिनांक-05.11.2026

जोन- उत्तरी/ थाना रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद लखनऊ की टीम द्वारा गौमांस ले जा रहे नामित/वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-कार्यवाही-

वादी मुकदमा श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामलखन निवासी ग्राम रूसैना थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 बनाम 01.मोहम्मद फैजुल पुत्र जान मोहम्मद निवासी टिकरा बरार थाना सण्डीला जनपद हरदोई वाहन संख्या UP32HP3774 का चालक, 02.रिजवान पुत्र अज्ञात, 03.इस्लामू पुत्र अज्ञात, 04.इरसाद पुत्र अज्ञात निवासीगण अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसमें वांछित अभियुक्त इस्लामुद्दीन को थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.11.2026 को दी मुकदमा श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामलखन निवासी ग्राम रूसैना थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 बनाम 01.मोहम्मद फैजुल पुत्र जान मोहम्मद निवासी टिकरा बरार थाना सण्डीला जनपद हरदोई वाहन संख्या UP32HP3774 का चालक, 02.रिजवान पुत्र अज्ञात, 03.इस्लामू पुत्र अज्ञात, 04.इरसाद पुत्र अज्ञात निवासीगण अज्ञात पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 05.11.2026 को व0उ0नि0 मय हमराह का0 अंकित के थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 163/2026 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955 में नामित/वाँछित अभियुक्त इस्लामुद्दीन पुत्र वसीअहमद निवासी ग्राम मुन्नू खेडा थाना सण्डीला जिला हरदोई की पता रसी सुरागरसी में जुगराजगंज रेलवे क्रासिंग पर मामूर था कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि आपके मुकदमे में नामित /वाँछित अभियुक्त इस्लामुद्दीन पुत्र वसीअहमद निवासी मुन्नूखेडा थाना सण्डीला जिला हरदोई कही जाने की फिराक में तरौना गाँव की मोड के पास सडक के दाहिनी ओर खडा है यदि जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है।

मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर खड़े व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम इस्लामुद्दीन पुत्र वसीअहमद निवासी ग्राम मुन्नू खेडा थाना सण्डीला जिला हरदोई उम्र करीब 36 वर्ष बताया। उक्त पकडे गये व्यक्ति को उसके जुर्म धारा व कारण गिरफ्तारी व आधार गिरफ्तारी से अवगत कराते हुये समय 12.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी मा0 मानवाधिकार आयोग व मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अक्षरश: पालन किया गया।

विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03-अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से गौमांस को काटकर ले जाना।

04-अनावरित अभियोग –

1.मु0अ0सं0 163/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 थाना रहीमाबाद लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.इस्लामुद्दीन पुत्र वसीअहमद निवासी ग्राम मुन्नू खेडा थाना सण्डीला जिला हरदोई उम्र करीब 36 वर्ष

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 रावेन्द्र सिंह थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

2.का0 सोबित सिंह थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

3.का0 अंकित सैनी थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2021
दिनांक-05.11.2026

जोन – पश्चिमी / थाना – नाका हिण्डोला

लखनऊ पुलिस की प्रभावी पैरवी से 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को मिली बड़ी सफलता: नाबालिग बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराध के अभियुक्त मनोज कुमार मौर्य को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50,000/- अर्थदण्ड की सजा।

- **थाना नाका हिण्डोला में पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त को दोषसिद्ध करार दिया गया।**
- **माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹50,000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।**
- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विवेचना से लेकर न्यायालयीन पैरवी तक प्रभावी कार्यवाही की गई।**
- **अभियोग में आरोप पत्र दिनांक 17.11.2021 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।**
- **अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी में थाना नाका हिण्डोला के पैरोकार आरक्षी अजीत राणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।**

01- संक्षिप्त विवरण

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान **'ऑपरेशन कन्विक्शन'** के तहत लखनऊ पुलिस को एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। **पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा महोदय** एवं **संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार** के कुशल निर्देशन में **थाना नाका हिण्डोला पुलिस** व स्थानीय पैरोकार द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी व सघन पैरवी एवं **अभियोजन के संयुक्त प्रयास** के फलस्वरूप नाबालिग बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराध के एक सनसनीखेज मामले में **अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए कठोर सजा** दिलाई गई है।

02- घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **13.10.2021** को वादिनी द्वारा थाना नाका हिण्डोला पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी दो नाबालिग पुत्रियों, जिनकी **उम्र क्रमशः लगभग 06 वर्ष एवं 05 वर्ष** थी, के साथ अभियुक्त द्वारा यौन प्रकृति की **अनुचित हरकतें** किए जाने के संबंध में शिकायत की गई थी। प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना नाका हिण्डोला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

03- अभियुक्त का विवरण

- **मनोज कुमार मौर्य पुत्र जीवन मोतीलाल**, निवासी मकान नं0 268/108, बिरहाना, थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ।

04- अभियोग का विवरण

थाना नाका हिण्डोला, कमिश्नरेट लखनऊ पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 139/2021, धारा 376 भा0द0वि0 एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट** के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण कर दिनांक **17.11.2021** को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

05- न्यायालय का निर्णय एवं सजा

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय **विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट-III, लखनऊ** द्वारा दिनांक **05.11.2026** को अभियुक्त मनोज कुमार मौर्य को दोषसिद्ध करते हुए **20 वर्ष के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) एवं ₹50,000 के अर्थदण्ड (Fine)** से दण्डित किया गया।

06- पुलिस एवं अभियोजन टीम की भूमिका

उक्त प्रकरण में **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार** संचालित **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अंतर्गत **पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय)** के निर्देशन में, **पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के** पर्यवेक्षण तथा **अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी)** एवं सहायक पुलिस आयुक्त, कैसरबाग के मार्गदर्शन में थाना नाका हिण्डोला पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

थानाध्यक्ष नाका हिण्डोला **श्री विवेक कुमार चौधरी** के नेतृत्व में विवेचना एवं न्यायालयीन पैरवी की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। इस दौरान न्यायालय में प्रभावी पैरवी हेतु पैरोकार **आरक्षी अजीत राणा** द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

07-पैरवीकर्ता-

01.थानाध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

02.का0 अजीत राणा थाना नाका हिण्डोला लखनऊ (पैरोकार)

"लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील एवं गंभीर है। ऐसे अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी विवेचना एवं सशक्त न्यायालयीन पैरवी निरंतर जारी रहेगी, ताकि अपराधियों में कानून का भय स्थापित हो तथा पीड़ितों को न्याय मिल सके।"

– सोशल मीडिया सेल, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2015
दिनांक-05.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना- जानकीपुरम

➢ **थाना जानकीपुरम पुलिस टीम नें नाबालिक लड़की को भगा ले जाकर बलात्कार करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 12.07.2026 को थाना स्थानीय पर वादिनी मुकदमा द्वारा शिकायत किया गया कि मेरी बेटी उम्र करीब 13 वर्ष बिना बताये घर से कही चली गयी है तत्काल उपरोक्त शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 126/2026 धारा 137(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह को सुपुर्द किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

घटना की गम्भीरता को देखते हुये तत्काल वादी का 180BNSS का बयान कर ,निरीक्षण घटनास्थल, पीड़िता के बयान 180 BNSS के आधार पर अभियुक्त रशीद खान पुत्र कासिम अली निवासी नबी नगर नियर जामा मस्जिद बेरी होटल के पास थाना मडियांव लखनऊ मूलपता जलालीपुर थाना हरगांव सीतापुर उम्र करीब 26 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(1)/87/63/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की करते हुए अभियुक्त रसीद खाँ उपरोक्त को आईआईएम तिराहा अजीजनगर के पास ब्रिज के नीचे मौजूद से समय करीब 10.30 बजे अन्तर्गत धारा 137(2)/ 137(1)/87/63/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। **अपराधिक** इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार करते हुए बयान अंकित कराया गया ।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 0126/2026 धारा 137(2)/ 137(1)/87/63/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना जानकीपुरम, लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. रशीद खान पुत्र कासिम अली निवासी नबी नगर नियर जामा मस्जिद बेरी होटल के पास थाना मडियांव लखनऊ मूलपता जलालीपुर थाना हरगांव सीतापुर उम्र करीब 26 वर्ष (व्यवसाय – राजमिस्त्री)।

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम लखनऊ

1. उ0नि0 सतेन्द्र प्रताप सिंह
2. हे0का0 राहुल तिवारी
3. का0 कंचन सिंह वर्मा
4. म0का0 शीतल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2014
दिनांक-05.11.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

➢ **थाना चौक पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दृष्टिगत थाना चौक पुलिस द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना चौक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा न्यायालय से जारी वारंटों के अनुपालन में वारंटी अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु उनकी पहचान कर उनके संभावित निवास स्थानों एवं ठिकानों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास करते हुए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक **04.11.2026 को समय करीब 14:50 बजे** थाना चौक पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारंटी अभियुक्त **लल्तू उर्फ बहरा पुत्र जोखे लाल, निवासी ग्राम सेमरिया, थाना सकरन, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 45 वर्ष** को उसके अंकित पते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई तथा न्यायालय द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-सम्बन्धित वाद/अभियोग का विवरण-

मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोर्ट सं0 20 लखनऊ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वाद संख्या 226/12 क्राइम नं0- 343/11 धारा 302/394/120बी/411 आईपीसी

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. लल्तू उर्फ बहरा पुत्र जोखे लाल निवासी ग्राम सेमरिया थाना सकरन जनपद सीतापुर उम्र करीब 45 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विक्रान्त सिंघाल, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. का0 राजकुमार, थाना सकरन जनपद सीतापुर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2014
दिनांक-05.11.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

➢ **थाना चौक पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दृष्टिगत थाना चौक पुलिस द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना चौक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा न्यायालय से जारी वारंटों के अनुपालन में वारंटी अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु उनकी पहचान कर उनके संभावित निवास स्थानों एवं ठिकानों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास करते हुए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक **04.11.2026 को समय करीब 14:50 बजे** थाना चौक पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारंटी अभियुक्त **लल्तू उर्फ बहरा पुत्र जोखे लाल, निवासी ग्राम सेमरिया, थाना सकरन, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 45 वर्ष** को उसके अंकित पते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई तथा न्यायालय द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-सम्बन्धित वाद/अभियोग का विवरण-

मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोर्ट सं0 20 लखनऊ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वाद संख्या 226/12 क्राइम नं0- 343/11 धारा 302/394/120बी/411 आईपीसी

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. लल्तू उर्फ बहरा पुत्र जोखे लाल निवासी ग्राम सेमरिया थाना सकरन जनपद सीतापुर उम्र करीब 45 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विक्रान्त सिंघाल, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. का0 राजकुमार, थाना सकरन जनपद सीतापुर

कार्यालय पुलिस आयुक्त लखनऊ।

पत्रांकः 73/2012(सीसीटीएनएस)/(CCTNS 2.0 Roullout) दिनाँकः नवम्बर 5 /2026

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक सहायक निदेशक,
उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र,
लखनऊ।

विषयः CCTNS 2.0 के रोलआउट के दृष्टिगत प्रत्येक थाने पर न्यूनतम 03 घंटे के पावर बैकअप की उपलब्धता क संबंध में थानावार सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में –

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या टीएस-सीसीटीएनएस-188/2026(CCTNS 2.0 Roullout) दिनांक 13.10.2026 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से CCTNS 2.0 के रोलआउट के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में CCTNS 2.0 से सम्बन्धित कार्य एवं अन्य आवश्यक शासकीय कार्यों के निर्बाध संचालन हेतु थानों पर उपलब्ध Power Backup की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य में Preferred Power Backup माध्यम के संबंध में सुझाव प्राप्त कर प्रारूपानुसार सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

अतः उक्त निर्देश के अनुपालन में कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त थानो से प्राप्त सूचना के आधार पर पॉवर बैकअप के सबंध में सूचना निर्धारित प्रारूप में Google Form Link: https://tinyurl.com/powerbackupinfo के माध्यम से अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

5/11/26

अपर पुलिस उपायुक्त-मुख्यालय/
नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

प्रतिलिपिः-1. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2. संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

कार्यालय पुलिस आयुक्त लखनऊ।

पत्राकः **73/2012(सीसीटीएनएस)/(CCTNS 2.0 Rollout)** दिनाँकः नवम्बर 5 /2026

सेवा में,

पुलिस उपमहानिरीक्षक
तकनीकी सेवायें मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः CCTNS 2.0 के Go Live के उपरांत CCTNS 1.0 एवं CCTNS 2.0 के दो माह तक समानातंर संचानल हेतु जनशक्ति का आकलन कर थानावार सूचना उपलब्ध कराये जाने के विषयक–

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या टीएस-सीसीटीएनएस-188/2026(CCTNS 2.0 Rollout) दिनांक 23.10.2026 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से CCTNS 2.0 के Go Live के उपरांत CCTNS 1.0 एवं CCTNS 2.0 के दो माह तक समानातंर संचानल हेतु जनशक्ति का आकलन कर थानावार प्रारूपानुसार सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

अतः उक्त निर्देश के अनुपालन में कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त थानों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनशक्ति के संबंध में सूचना निर्धारित प्रारूप में Google Form Link: https://tinyurl.com/cctns-manpower के माध्यम से अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

5/11/26

अपर पुलिस उपायुक्त-मुख्यालय/
नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

प्रतिलिपिः-1. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

कार्यालय पुलिस आयुक्त लखनऊ।

पत्रांक:प-73/2012/सीसीटीएनएस**(MLC/2026)** दिनाँक: नवम्बर, 5 ,2026

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक / सहायक निदेशक,

उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र-लखनऊ।

कृपया आप अपने पत्र संख्या – टीएस/सीसीटीएनएस/108/2022 दिनाँकित 29.10.2026 का सन्दर्भ ग्रहण कर, जिसके माध्यम से MedLEaPr पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिंग/प्रेषण की प्रगति की समीक्षा के अतर्गत शत-प्रतिशत कायवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक थाने पर न्यूनतस 02 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु नामित करते हुए उनका विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्तानुसार पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ से सभी थानों पर न्यूनतम 02 पुलिस कार्मिकों को नामित करते हुए उनके प्रशिक्षण हेतु सूचना सलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

सलग्नक:यथोपरि।

5/11/26

अपर पुलिस उपायुक्त- मुख्यालय/

नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस

कमिश्नरेट लखनऊ।

प्रतिलिपि:- पुलिस आयुक्त, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।